रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082025-265825
CG-DL-E-30082025-265825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3832] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947
No. 3832] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/BHADRA 6, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2025

का.आ. 3937(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें उक्त अधिसूचना कहा गया है), के अनुसरण में, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, केरल (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, केरल कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
1.	श्री पुल्लुकोट्टायिल हबेल कुरियन आईएएस (सेवानिवृत्त) पुल्लुकोट्टायिल, एलोंगुम्विला रेजिडेंट्स एसोसिएशन -61, टी के दिवाकरन रोड, मुत्तदा पोस्ट ऑफिस, तिरुवनंतपुरम	-अध्यक्ष;

2.	श्री रवीन्द्रन थेक्केपराम्बिल श्रीपदम, पी.टी. रोड, पल्लीकुन्नु डाकघर, कन्नूर-67000	-सदस्य; और
3.	सचिव, पर्यावरण विभाग, केरल सरकार	-सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, केरल पैरा 4 के अधीन केरल राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियों की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा ।

3. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय किसी बैठक में लिए जाएंगे और साधारणतया सर्वसम्मत से किए जाएंगे:

परन्तु, यदि कोई विनिश्चय बहुमत द्वारा लिया गया है तो इसके लिए और इसके विरुद्ध टिप्पणियों के ब्यौरे कार्यवृत में स्पष्टतया अभिलेखित होंगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

4. केन्द्रीय सरकार, केरल राज्य सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए केरल राज्य के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियां, (जिसे इसमें इसके पश्चात् समितियां कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति-1

(1)	(2)	(3)
1.	श्री. अनिरुद्ध कुमार धरानी आईएफएस (सेवानिवृत्त) 33 अरण्य, फारेस्ट कॉलोनी, बागमुगालिया, भोपाल	-अध्यक्ष;
2.	डॉ. अंसारी जमाल उशुस, हाउस नंबर 65, लाल लेन, इंडस्ट्रियल एस्टेट पोस्ट ऑफिस, पप्पनमकोड, तिरुवनंतपुरम- 695019	-सदस्य;
3.	डॉ. माधवन राजेंद्रप्रसाद प्रधान वैज्ञानिक और विभागाध्यक्ष, उद्यान प्रबंधन प्रभाग, केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान	-सदस्य;
4.	डॉ. मनोहरन अब्बडकम नायर सह-आचार्य, भूविज्ञान विभाग, सरकारी कॉलेज, कासरगोड, विद्यानगर, कासरगोड-671123	-सदस्य;
5.	डॉ. वैप्पिल बालन विनयन वैप्पिल हाउस, गुरु औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रोड, वेंगल्लूर डाकघर, थोडुपुझा, इडुक्की-685608	-सदस्य; और
6.	निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, केरल सरकार	-सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति-2

(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. शिबू कृष्णन सह-आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पर्यावरण इंजीनियरिंग प्रभाग,	-अध्यक्ष;

	त्रिवेंद्रम इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरुवनंतपुरम-695016	
2.	श्री. राधाकृष्णन नायर राघवन नायर तिरुवनंतपुरम निगम 40/258(2), ऐश्वर्या रेजिडेंट्स एसोसिएशन तिरुमाला ए 16-2, तिरुमाला डाकघर, तिरुवनंतपुरम-695006	-सदस्य;
3.	डॉ. आदियोदि वेणुगोपालन संतोषकुमार आचार्य और विभागाध्यक्ष, वन जीवविज्ञान और वृक्ष सुधार विभाग, वानिकी महाविद्यालय, केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिक्कारा, त्रिशूर-680656	-सदस्य;
4.	डॉ. हरिलाल चेरुकारा चेल्लप्पन पर्यावरण विज्ञान के आचार्य और विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, मलप्पुरम- 673635	-सदस्य;
5.	डॉ. बिंदू बीना कॉटेज कुमारा कुरुप वरप्रसादम, वेल्लोर डाकघर, कोट्टायम-686501	-सदस्य; और
6.	निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, केरल सरकार	-सदस्य सचिव।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति-3

(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. अनिल कुमार भारद्वाज भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) 301 डिज़ाइन आर्केड, चंद्रबनी, देहरादून, उत्तराखंड-248002	-अध्यक्ष;
2.	डॉ. अनु गोपीनाथ आचार्य और विभागाध्यक्ष, जलीय पर्यावरण प्रबंधन विभाग, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कोच्चि	-सदस्य;
3.	श्री अनिल कुमार शिवशंकरन सुसीला आराभी, पूवाम्बिली रोड, एलमक्कारा, एर्नाकुलम-682026	-सदस्य;
4.	डॉ. केशवन वासुदेवन पिल्लई राजधानी, उल्लास नगर, वडक्कनचेरी डाकघर पलक्कड़- 678683	-सदस्य;
5.	डॉ महेश मोहन सह-आचार्य और निदेशक, पर्यावरण विज्ञान स्कूल, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, प्रियदर्शिनी हिल्स डाकघर, कोट्टायम-686560	-सदस्य; और
6.	निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, केरल सरकार	-सदस्य सचिव।

5. निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियां उक्त सारणी के स्तंभ 3 के अधीन तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट जिलों के ऊपर अधिकारिता का प्रयोग करेंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति-1 (दक्षिण क्षेत्र)	तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले
2.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति -2 (मध्य क्षेत्र)	इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़ और मलप्पुरम जिले
3.	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति -3 (उत्तरी क्षेत्र)	कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले

6. प्राधिकरण, केरल और समितियों के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. प्राधिकरण, केरल और समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

8. हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(i) प्राधिकरण, केरल और समितियों के अध्यक्ष और सदस्य,-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन से और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं; और

(ख) किसी ऐसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श या सहयोग नहीं देंगे, जिसका उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाना है या समितियों द्वारा अंकन किया जाना है;

(ii) पिछले पांच वर्षों में यदि प्राधिकरण, केरल और समितियों के अध्यक्ष और किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण का अध्ययन किया है, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, केरल या समितियों की बैठक से स्वयं को अलग रखेंगे।

9. समितियां सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेंगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. केरल राज्य सरकार, प्राधिकरण, केरल और समितियों के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी और वित्तीय तथा संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत वास-सुविधा, परिवहन और अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

11. प्राधिकरण और समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता केरल राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा. सं. आईए3-1/1/2021-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2025

S.O. 3937(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub section (ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Kerala (hereinafter referred to as the Authority, Kerala) comprising of the following Members, namely:—

(1)	(2)	(3)
1.	Shri. Pullukottayil Habel Kurian IAS (Retired) Pullukottayil, Elangumvila Residents Association -61, T K Divakaran Road, Muttada Post Office, Thiruvananthapuram	-Chairman;
2.	Shri.Raveendran Thekkeparambil Sreepadam, P.T Road, Pallikunnu Post Office, Kannur-670004	-Member; and
3.	Secretary, Department of Environment, Government of Kerala	-Member Secretary.

2. The Authority, Kerala shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committees constituted under paragraphs 4 for the State of Kerala.

3. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

4. The Central Government, in consultation with the State Government of Kerala, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes following State Level Expert Appraisal Committees for the State of Kerala (hereinafter referred to as the Committees) comprising of the following persons, namely: —

State Level Expert Appraisal Committee-1

(1)	(2)	(3)
1.	Shri. Anirud Kumar Dharani IFS (Retd) 33 Aranya, Forest Colony, Bagmugaliya, Bhopal	-Chairman;
2.	Dr. Ansari Jamal Ushus, House No 65, Lal Lane, Industrial Estate Post Office, Pappanamcode, Thiruvananthapuram- 695019	-Member;
3.	Dr. Madhavan Rajaendraprasad Principal Scientist & Head, Garden Management Division, Kerala State Council for Science, Technology and Environment - Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute	-Member;
4.	Dr. Manoharan Avbadkam Nair Associate Professor, Department of Geology, Government College, Kasaragod, Vidyanagar, Kasaragod-671123	-Member;
5.	Dr. Vaippil Balan Vinayan	-Member; and

	Vaippil House, Guru Industrial Training Centre Road, Vengalloor Post Office, Thodupuzha, ldukki.685608	
6.	Director, Directorate of Environment and Climate Change, Government of Kerala	-Member Secretary.

State Level Expert Appraisal Committee-2

(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Shibu Krishnan Associate Professor, Department of Civil Engineering, Environmental Engineering Division, College of Engineering Trivandrum, Thiruvananthapuram – 695 016	-Chairman;
2.	Shri.Radhakrishnan Nair Raghavan Nair Thiruvananthapuram Corporation 40/258(2), Aiswarya Residents' Association Thirumala A 16-2, Thirumala Post Office, Thiruvananthapuram- 695006	-Member;
3.	Dr. Adiyodi Venugopalan Santhoshkumar Professor and Head, Department of Forest Biology and Tree Improvement, College of Forestry, Kerala Agricultural University, Vellanikkara, Thrissur- 680656	-Member;
4.	Dr. Harilal Cherukara Chellappan Professor in Environmental Sciences and Head, Department of Botany, University of Calicut, Malappuram- 673635	-Member;
5.	Dr. Bindhu Beena Cottage Kumara Kurup Varaprasadam, Velloor Post Office., Kottayam-686501	-Member; and
6.	Director, Directorate of Environment and Climate Change, Government of Kerala	-Member Secretary.

State Level Expert Appraisal Committee-3

(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Anil Kumar Bharadwaj Indian Forest Service (Retired) 301 Design Arcade, Chandrabani, Dehradun, Uttarakhand-248002	-Chairman;
2.	Dr. Anu Gopinath Professor and Head, Department of Aquatic Environment Management, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, Kochi	-Member;
3.	Shri.Anil Kumar Sivasankaran Suseela Aarabhi, Poovambilly Road, Elamakkara, Ernakulam-682026	-Member;
4.	Dr. Kesavan Vasudevan Pillai Rajdhani, Ullas Nagar, Vadakkancherry Post office Palakkad- 678683.	-Member;
5.	Dr Mahesh Mohan Associate Professor and Director, School of Environmental Sciences, Mahatma Gandhi University, Priyadarshini Hills Post office., Kottayam-686560	-Member; and
6.	Director, Directorate of Environment and Climate Change, Government of Kerala	-Member Secretary.

5. The State Level Expert Appraisal Committees specified under column (2) of the following Table shall exercise jurisdiction over districts specified in the corresponding entry under column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

S.No.	State Level Expert Appraisal Committee	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	State Level Expert Appraisal Committee-1 (South Zone)	Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam and Ernakulam Districts
2.	State Level Expert Appraisal Committee -2 (Central Zone)	Idukki, Thrissur, Palakkad and Malappuram Districts
3.	State Level Expert Appraisal Committee -3 (North Zone)	Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod Districts

6. The Chairman and Members of the Authority and the Committees, Kerala shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The Authority, Kerala and the Committees shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. In order to avoid any conflict of interest,—

(i) the Chairman and Members of the Authority, Kerala and the Committees shall,—

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for a project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committees during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Authority, Kerala and the Committees have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, Kerala or the Committees as the case may be, from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

9. The Committees shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if cannot be reached consensus, the views of the majority shall prevail.

10. The State Government of Kerala shall notify an agency to act as Secretariat of the Authority, Kerala and the Committees which shall provide financial and logistic support, including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committees shall be paid as per the rules of the State Government of Kerala.

[F. No. IA3-1/1/2021-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA